# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

(137)

प्र0 क0 निगरानी 946 –दो / 16

प्यारेलाल अहिरवार .............आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन .........अनावेदक

## आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम–1963

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि–

1– यह कि, आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 61 / बी–121 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.08.13 के पालनार्थ संबधित राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने बावत् इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । जिसे प्रस्तुत करने में बिलंव हो गया है।

2– यह कि, आवेदक को अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 29.08.13 के पारित हो जाने के पश्चात् यह आशा थी कि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो जायेगा, परन्तु आज तक आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका है। इसीलिये आवेदक को श्रीमान् न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करनें में विलंब हो गया है। इसलिये आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ बिलंब माफी योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रस्तुत निगरानी समय सीमा में मानकर गुणदोषों पर निराकरण करने का आदेश पारित करने की कृपा करें ।

इति दिनांक 17 / 03 / 2016

स्थान–ग्वालियर

आवेदक

प्यारेलाल अहिरवार

द्वारा अभिभाषक

~~रजनी वशिष्ठ शर्मा~~ (एडवोकेट)

Xxxix(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 946-दो/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता. |
|---|---|---|
| 17-3-16 | यह निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 61/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 का तहसीलदार पलेरा व्दारा पालन न करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 387 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2003 से आवेदक के हित में ग्राम लहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे कमांक 599/2 रकबा 0.800 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 597 रकबा 1.223 हैक्टर म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की एंव पटवारी अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये गये , परन्तु हलका पटवारी ने शासकीय अभिलेख में अमल नहीं किया, जिसके कारण आवेदक ने अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार के आदेश का अमल कराने की प्रार्थना की। इस आवेदन पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 61/2012-13 बी - 121 पंजीबद्ध किया तथा तहसीलदार के प्रकरण की जॉच कर आदेश दिनांक 29-8-2013 पारित किया एंव उक्तांकित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार पलेरा ने अपर कलेक्टर के उक्तादेश का पालन नहीं कराया, जिसके आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर को सुना गया तथा | |

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 61/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदक के हित में तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 387 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2003 से ग्राम लहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे कमांक 599/2 रकबा 0.800 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 597 रकबा 1.223 हैक्टर म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की है जिसका अमल अभिलेख में नहीं किया गया है एंव कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 61/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 से उक्तांकित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये है इसके वाद भी तहसीलदार पलेरा ने उक्तादेश का अमल नहीं कराया है जो न्यायहित में उचित नहीं माना जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 61/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 अनुसार ग्राम लहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे कमांक 599/2 रकबा 0.800 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 597 रकबा 1.223 हैक्टर पर शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज कराया जावे।

सदस्य